रजिस्ट्री सं० डी० एल०-33004/99 REGD. NO. D. L.-33004/99

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण
EXTRAORDINARY
भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)
PART II—Section 3—Sub-section (ii)
प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 2248] नई दिल्ली, मंगलवार, नवम्बर 4, 2014/कार्तिक 13, 1936
No. 2248] NEW DELHI, TUESDAY, NOVEMBER 4, 2014/KARTIKA 13, 1936

गृह मंत्रालय

अधिसूचना

नई दिल्ली, 4 नवम्बर, 2014

का.आ. 2818 (अ).-यत: केन्द्रीय सरकार ने, सशस्त्र बल (विशेष शक्तियां) अधिनियम, 1958 (1958 का 28) की धारा 3 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, सम्पूर्ण असम राज्य को दिनांक 27.11.1990 की अधिसूचना का.आ. 916 (अ) के तहत दिनांक 27.11.1990 से 'अशांत क्षेत्र' के रूप में घोषित किया था।

और यत: केन्द्रीय सरकार ने पूर्वोक्त अधिनियम की धारा 3 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए अन्य क्षेत्रों के अतिरिक्त, असम राज्य की सीमा से लगे अरुणाचल प्रदेश और मेघालय राज्य में सीमा से 20 कि.मी. चौड़ी पट्टी के अंतर्गत आने वाले क्षेत्रों को भी 'अशांत क्षेत्र' के रूप में घोषित किया था।

और यत: यह घोषणा कि असम राज्य और असम राज्य की सीमा से लगे अरुणाचल प्रदेश और मेघालय राज्यों में 20 कि.मी. चौड़ी पट्टी को उपर्युक्त अधिनियम के अंतर्गत 'अशांत क्षेत्र' घोषित किया जाएगा, असम राज्य एवं उपर्युक्त क्षेत्रों में कानून एवं व्यवस्था की स्थिति की समीक्षा करने के बाद समय-समय पर आगे बढ़ाई गई।

और यत: असम तथा असम की सीमा से लगे अरुणाचल प्रदेश और मेघालय राज्यों में 20 कि.मी. चौड़ी पट्टी में कानून एवं व्यवस्था की स्थिति की आगे और समीक्षा करने से निम्नलिखित इंगित होता है:

(i) भूमिगत संगठनों द्वारा की जाने वाली हिंसक घटनाओं के कारण असम राज्य में कानून और व्यवस्था की स्थिति चिंता का विषय बनी हुई है;

(ii) जनवरी से सितम्बर, 2014 तक की अवधि के दौरान, भूमिगत संगठन असम में हिंसा की 174 घटनाओं में शामिल थे जिनके परिणामस्वरूप 4 सुरक्षा कार्मिकों सहित 89 व्यक्तियों की मृत्यु हो गई, जबकि पिछले वर्ष की इसी अवधि के दौरान 147 घटनाओं में 3 सुरक्षा कार्मिकों सहित 13 व्यक्तियों की मृत्यु हुई थी;

(iii) इस क्षेत्र में सक्रिय उग्रवादी संगठनों का विश्वास सशस्त्र संघर्ष में कायम है तथा ये आम जनता में डर पैदा करने, प्रशासनिक प्रणाली को अस्त-व्यस्त करने तथा जनता से जबरन धन वसूली करने के लिए हिंसा के कृत्यों में संलिप्त हैं;

(iv) एन डी एफ बी (सोंगबिजीत) सर्वाधिक शक्तिशाली एवं घातक विद्रोही समूह के रूप में उभरा है और चालू वर्ष के दौरान, 30 सितम्बर तक 53% घटनाओं, 85% हत्या एवं 51% अपहरण के मामलों में इसका हाथ है;

(v) म्यांमार में उल्फा (स्वतंत्र) का शीर्ष नेतृत्व अपनी उपस्थिति का दावा प्रस्तुत करने और जबरन धन वसूली को सुगम बनाने के लिए भय फैलाने की दृष्टि से असम के विभिन्न भागों में प्रदर्शनात्मक हिंसक कृत्यों को अंजाम देने के लिए असम में काडरों का घुसपैठ करवाने का प्रयास कर रहा है;

(vi) असम-मेघालय सीमा, असम-अरुणाचल सीमा एवं असम-नागालैंड सीमा पर गारो नेशनल लिबरेशन आर्मी (जी एन एल ए) एवं कार्बी पीपल्स लिबरेशन टाइगर्स (के पी एल टी), यूनाइटेड अचिक लिबरेशन आर्मी (यू ए एल ए), यूनाइटेड लिबरेशन फ्रंट ऑफ असम (स्वतंत्र), नेशनल डेमोक्रेटिक फ्रंट ऑफ बोडोलैंड (सोंगबिजीत), एन एस सी एन (आई/एम) तथा एन एस सी एन (के) जैसे भूमिगत संगठन द्वारा असम के सीमावर्ती क्षेत्रों का उपयोग किया जा रहा है।

अत:, अब सम्पूर्ण असम राज्य तथा असम की सीमा से लगे अरुणाचल प्रदेश और मेघालय राज्यों की 20 कि.मी. चौड़ी पट्टी के अंतर्गत आने वाले क्षेत्र सशस्त्र बल (विशेष शक्तियां) अधिनियम, 1958 की धारा 3 (1958 का 28) के अंतर्गत 3.11.2014 के बाद एक वर्ष तक 'अशांत क्षेत्र' बने रहेंगे जब तक कि इसे इससे पहले वापिस न लिया जाए।

[फा. सं. 11011/38/98-एन.ई.IV]

दिलीप कुमार, संयुक्त सचिव

MINISTRY OF HOME AFFAIRS

NOTIFICATION

New Delhi, the 4th November, 2014

S. O. 2818(E).—Whereas the Central Government in exercise of powers conferred by Section 3 of the Armed Forces (Special Powers) Act, 1958 (28 of 1958) had declared the entire State of Assam as 'disturbed area' with effect from 27.11.1990 vide Notification S.O. 916(E) dated 27.11.1990.

And whereas the Central Government in exercise of powers conferred by Section 3 of the aforesaid Act had also declared, besides other areas, the areas falling within 20 kms wide belt in the State of Arunachal Pradesh and Meghalaya along their border with the State of Assam as 'disturbed area'.

And whereas the declaration that the State of Assam and areas falling within 20 kms wide belt in the State of Arunachal Pradesh and Meghalaya along their border with the State of Assam shall be a 'disturbed area' under the aforesaid Act was extended from time to time after reviewing the law and order situation in the State of Assam and the aforesaid areas.

And whereas a further review of the law and order situation in Assam and the 20 kms wide belt in the State of Arunachal Pradesh and Meghalaya bordering Assam indicates the following:-

i) The law and order situation in the State of Assam has continued to be a matter of concern due to the violent incidents by underground outfits.

ii) During the period January to September 2014, the Under Ground Outfits were involved in 174 incidents of violence in Assam which resulted in the killing of 89 persons, including 4 security personnel, compared to the killing of 13 persons including 3 security personnel 147 incidents during the corresponding period of the last year.

iii) The militant outfits operating in the area continue to affirm their faith in armed struggle and indulge in acts of violence to create panic among the common people, disturb the administrative system and extort money from the people.

iv) The NDFB(Songbijit) has emerged as the most potent and lethal insurgent group sharing 53% of incidents, 85% of killing and 51% of abduction during the current year upto 30th September.

v) The top leadership of ULFA(I) stationed in Myanmar is making efforts to infiltrate cadres in to Assam to carry out demonstrative acts of violence in different parts of Assam with a view to assert its presence and spread fear psychosis to facilitate extortion.

vi) The bordering areas of the Assam are being used by UG outfits like Garo National Liberation Army (GNLA) and Karbi People's Liberation Tigers (KPLT), United Achik Liberation Army (UALA), United Liberation Front of Asom (Independent), National Democratic Front of Bodoland(Songbijit) NSCN(I/M) and NSCN(K) at Assam-Meghalaya border, Assam-Arunachal border and Assam-Nagaland border.

Now, therefore, the entire State of Assam and the 20 kms belt in the State of Arunachal Pradesh and Meghalaya bordering Assam shall continue to be 'disturbed area' under Section 3 of the Armed Forces (Special Powers) Act, 1958 upto one year beyond 3.11.2014, unless withdrawn earlier.

[F.No. 11011/38/98-NE-IV]

DILIP KUMAR, Jt. Secy.

Printed by the Manager, Government of India Press, Ring Road, Mayapuri, New Delhi-110064
and Published by the Controller of Publications, Delhi-110054.